फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

कृष्णादेवी वगैरह बनाम सरबती वगैरह

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–176/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/11/2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील उभयपक्ष दिनांक 14.10.19 को सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 5 एमएनडब्ल्यूएम के खाता संख्या 12/41 प0नं0 170/340(31) के कि0न0 3/0.127 है, 4/0.253 है0, 7/0.253, 8/2 में 0.126 है0, 13/0.127 है0, 14/0.253 है0 प्रार्थी के नाम चक 5 एसएचपीडी–ए प.नं. 72/335 कि.नं. 15 ता 25 में 2.469 है0,17/0.253 है0, 18/2/0.126 है0, 23/2/0.127 है0, 24/0.253 है0 कुल 1.898 है0 कमाण्ड व इसी चक के खाता संख्या 13/22 के प0न0 117/340(31) के कि0न0 1–2/0.506 है0, 3/1/0.126 है0, 8/1/0.127 है, 9 ता12/1.012 है0, 13/1/0.126 है0, 18/1/0.127 है0, 19 ता 22 में 1.012 है0, 23/1/0.126 है0 कुल 3.162 है0 इस प्रकार दोनों खातों में कुल 5.060 है0 व प्रार्थी नं. 02 के नाम से चक 5 एमएनडब्लयूएम के खाता संख्या 24/28 के प0न0 117/340(31) के कि0न0 5–6/0.506 है0, 15–16/0.506 है, 25/0.253 है0 कुल 1.265 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वाके चक 239.500 आरडी के प0नं0 117/339 के कि0न0 1 ता 25 में 6.070 है0 क0/अ0क0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के रकबा के पत्थर नंबर व चक अलग–अलग है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रभावशाली औरत है। वह राजनैतिक प्रभाव से प्रार्थीगण के रकबा में जबरदस्ती घुसने की फिराक में है। अप्रार्थीया द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश कमांक 49/1.10.17 की पालना में दिनांक 05.11.17 को हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान किया गया जिसमें अप्रार्थीया की अनुपस्थिति दर्शाते हुए सीमाज्ञान किया है, जिससे प्रार्थीगण को कोई सूचना दी गयी अब अप्रार्थीया उक्त तथाकथित सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में घुसने की फिराक में है। ऐलानिया धमकी दे रही है। इसलिये प्रकरण में दिनांक 08.11.17 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा के निर्णय तक स्थाई की जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने तर्क किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीया की भूमि अलग–अलग है। प्रार्थीगण अपनी भूमि को काश्त करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें अप्रार्थीया को कोई ऐतराज नही है। परन्तु प्रार्थीगण अप्रार्थीया की भूमि में दखलदांजी नही करें इसके लिए प्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अप्रार्थीया नेक नियती की है, उसका अन्य किसी भी भूमि का दबाने का कोई इरादा नही है। अप्रार्थी ने दिनांक 01.10.17 को मौका पर सीमाज्ञान करवाया। जिसमें पडौसी काश्तकार भी उपस्थित थे, श्योचंद को फोन पर सूचित किया गया थौ उसके बाद यह कहना की सूचना नही थी, गलत है। यदि प्रार्थीगण को सीमाज्ञान करवाना है तो अप्रार्थीया को कोई आपत्ति नही है। वाद के निर्णय तक दोनो पक्षकारों को पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दैनिक डायरी दिनांक 05.11.17	

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वार रविवार अनुसार चक 239.500 आरडी के प0न0 117/341 का सीमाज्ञान किया गया। जिसमें अंकित है कि पडौसी श्योचंद को जरिये दुरभाष सूचना दी गई। सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी गई। मौका पर कोई कब्जा तबदील नही किया गया। इसके नीचे पड़ौसी काश्तकारों व मौतबिरान के हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण को यदि इस सीमाज्ञान दिनांक 05.11.17 से आपत्ति थी, तो वे इसके पश्चात् तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर सीमाज्ञान करने का प्रा0पत्र प्रस्तुत कर सकते थे। यदि उन्होने ऐसा कोई प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है तो वह इस न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर होना प्रकट होता हो। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रा.पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दिनांक 08.11.2017 को प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07/11/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.11.22 14:29:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: